राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 79/2020

1. उम्मेद सिंह पुत्र बीरबल
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कुरड़ा
3. चन्दाराम पुत्र श्योकरण
4. लिक्षमण पुत्र श्योकरण

समस्त जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. अमर सिंह पुत्र नाथा
2. दलीप पुत्र नाथा
3. दाताराम पुत्र गोपाल
4. दीपिका पुत्री दीपचन्द
5. धर्मपाल पुत्र श्रीपाल
6. प्रताप पुत्र नाथा
7. बुजाराम पुत्र गोपाल
8. विदा पत्नी रामसिंह
9. शेरसिंह पुत्र श्रीपाल
10. सुनील कुमार पुत्र रामसिंह
11. सुमन देवी पत्नी दीपचन्द
12. हरिसिंह पुत्र नाथा

    समस्त जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. मुकेश सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. रोहिताश्व सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद 267 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर।
15. बिमला देवी पत्नी रामरूप सिंह जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
16. महेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप
17. रामस्वरूप पुत्र बेगु
18. सुमन देवी पत्नी सुमेर सिंह
19. जयसिंह पुत्र गोविन्दा
20. अमर सिंह पुत्र गोविन्दा
21. इन्द्राज पुत्र गोविन्दा
22. चन्दगीराम पुत्र स्व. झाबर
23. महावीर पुत्र स्व. झाबर
24. रोहतास पुत्र स्व. झाबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

25. विमला देवी पत्नी हरिराम पुत्रवधु स्व. झावर
26. परमानन्द पुत्र हरिराम
27. अजय पुत्र हरिराम
समस्त जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
28. परमिला पुत्री हरिराम पत्नी अनुप जाति जाट निवासी जोधा का बास पोस्ट अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
29. सरती देवी पत्नी स्व. रामनारायण
30. सहीराम पुत्र जीताराम
31. मूलचन्द पुत्र जीताराम
समस्त जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
32. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किठाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील चिड़ावा।
33. बड़ौदा राज0 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर जरिये शाखा प्रबंधक।
34. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
35. स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुलताना जरिये शाखा प्रबंधक।
36. भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबंधक।
37. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार।
38. महेरचनद पुत्र नाथा
39. शेर सिंह पुत्र श्योकरण
40. किताब कोर पत्नी स्व. रिछपाल
41. कपिल पुत्र स्व. रिछपाल
42. राजेश पुत्र स्व. रिछपाल
43. बनारसी देवी पत्नी स्व. कुरड़ा
44. हरि सिंह पुत्र स्व. कुरड़ा
45. रामेश्वर पुत्र स्व. कुरड़ा
46. विधाधर पुत्र स्व. कुरड़ा
47. सतवीर पुत्र स्व. कुरड़ा
48. हवासिंह पुत्र स्व. कुरड़ा
49. महेश पुत्र स्व. कुरड़ा
50. मनीराम पुत्र स्व. कुरड़ा
51. सुरेश पुत्र स्व. कुरड़ा जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क),

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रोशनलाल सैनी – अप्रार्थीगण सं. [illegible] 5 से 7 व 12 की ओर से
3. श्री गोविन्द चौधरी – अप्रार्थीगण सं. [illegible] व 30, 31 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

:: निर्णय :: दिनांक 12—04—2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 28 खसरा नंबर 135 रकबा 1.05 है., ख.नं. 136 रकबा 1.09 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है. इसी इसी गांव में स्थित भूमि खाता सं. 29 खसरा नंबर 138 रकबा 3.15 है. एवं खाता सं. 30 खसरा नंबर 148 रकबा 1.60 है., ख.नं. 149 रकबा 2.01 है., ख.नं. 150 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.66 है. के संयुक्त खातेदार काश्तकार प्रार्थी सं. 1, 3, 4 एवं प्रार्थी सं. 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 43 के पति अप्रार्थी सं. 44 लगा. 51 के पिता स्व. कुरड़ा पुत्र नाथा एवं अप्रार्थी सं. 38, 39 एवं अप्रार्थी सं. 40 के पति व अप्रार्थी सं. 41, 42 के पिता रिछपाल पुत्र नाथा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खातेदार कुरड़ा पुत्र नाथा का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 43 लगा. 51 पत्नी व पुत्र है। खातेदार रिछपाल पुत्र नाथा का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश उसकी पत्नी व पुत्र अप्रार्थी सं. 40 लगा. 43 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 38 लगायत 51 की उपरोक्त खातेदारी की भूमि को जोत के लिए साधन लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम लोयल से मानोता जाटान जाने वाले आम रास्ते से दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे एवं खसरा नंबर 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 832/139 है, की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 10 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण के खेतों को जाता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कदीम से करते आ रहे हैं। इस रास्ते के अलावा उक्त वर्णित भूमि में साधन लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को कानूनन लोयल से मानोता जाटान जाने वाले आम रास्ते से दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे एवं खसरा नंबर 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 10 फीट चौड़ाई का रास्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के कदीम से ही विद्यमान रहा हे और यही से ही उपयुक्त रास्ता सम्भव है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 28 के ख.नं. 135 रकबा 1.05 है., ख.नं. 136 रकबा 1.09 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है., इसी गांव में स्थित भूमि खाता सं. 29 ख.नं. 138 रकबा 3.15 है. एवं खाता सं. 30 ख.नं. 148 रकबा 1.60 है., ख.नं. 149 रकबा 2.01 है., ख.नं. 150 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.66 है. में आने जाने, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 31 की खातेदारी भूमि जो लोयल से मानोता जाटान जाने वाले आम रास्ते से दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे एवं खसरा नंबर 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 10 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 31 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि भूमि ख.नं. 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे एवं ख.नं. 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 825/139 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे कोई रास्ता नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण कभी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उनके द्वारा बताये जाने वाले रास्ते से अपने खेतों में गये। प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नंबरान में से गलत रूप से रास्ता बताया है ना तो पहले कभी रास्ता रहा व न ही वर्तमान में कोई रास्ता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 3, 5 से 7 व 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदकगण ने भूमि खसरा नंबर 149 राजस्व ग्राम मानोता जाटान तक आने जाने के लिए 10 फुट चौड़ाई तक प्रस्तावित रास्ता की मांग की है जबकि आवेदकगण का ग्राम लोयल से मानोता जाटान को जाने वाली से दक्षिण में गोचर भूमि खसरा नंबर 166 अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर 147 के पूर्व में स्थित भूमि खसरा नंबर 970/165, ख.नं. 971/165 व ख.नं. 968/155, ख.नं. 969/155 के मध्य से पहले से कटाननुमा रास्ता है जो आगे चलकर भूमि खसरा नंबर 968/155 के पूर्व भाग से आवेदकगण का खेत ख.नं. 149 से दूरी 20–25 मीटर है जो निकटतम, लघुतम सुविधाजनक है जिससे आवेदकगण काफी समय से आवागमन कर रहे हैं। तहसीलदार, खेतड़ी के जरिये पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पटवारी हल्का से मिलकर अनावेदकगण के खेत खसरा नंबर 143, 144, 887/140, 832/139, 147 को खराब करने के लिए गलत बनाई गई है जबकि आवेदकगण का खेत खसरा नंबर 149 में पहले से रास्ता उपलब्ध है। पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर रास्ता काटने से कई खेत खराब होंगे व रास्ता भी करीब डेड किलोमीटर से अधिक होगा। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में नजरी नक्शा में जो रास्ता आवेदकगण से मिलकर सुविधाजनक बताया उक्त भूमि का पहले से एक मुकदमा उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह आदि चल रहा है जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 19/18 में न्यायालय द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश जारी कर रखा है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 4, 8 से 11, 13 से 18, 32 से 36 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/1802 दिनांक 21.09.2021 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
2. प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है अर्थात् वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शा नजरी अनुसार बिन्दु A से B निकटतम एवं लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते की बिन्दु A से B की कुल दूरी 220 मीटर है एवं प्रार्थी द्वारा 10 फुट अर्थात 3 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है। इस प्रकार रास्ते में कुल 220X3 = 660 वर्गमीटर भूमि आती है।
5. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली 660 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. रू. 67639/– है जिसकी दुगुनी राशि रू. 135278/– रूपये बनते हैं।

प्रार्थीगण की ओर से अ[illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी संव[illegible]076 खाता संख्या नया 28, खाता सं. 29, खाता सं. 30, खाता सं. 46, [illegible] 36, खाता सं. 38 व खाता सं. 107 ग्राम मानोता जाटा[illegible] ग्राम मानोता जाटान, फोटो प्रति तहसीलदार, खेतड़ी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत [illegible]जस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करवाने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का मानोता जाटान द्वारा तहसीलदार, खेतड़ी को प्रस्तुत मौका जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

रिपोर्ट रास्ते का नक्शे में इन्द्राज करवाने बाबत, विक्रय पत्र अजय कुमार आदि बहक मुकेश सिंह शेखावत आदि दिनांक 22.06.2020 की फोटो प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण की ओर से अपनी लिखित बहस के समर्थन में न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 19/2018 उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह आदि बाबत अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित हाल खाता सं. 28 के ख.नं. 135 रकबा 1.05 है., ख.नं. 136 रकबा 1.09 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.14 है., इसी गांव में स्थित भूमि हाल खाता सं. 29 ख.नं. 138 रकबा 3.15 है. एवं हाल खाता सं. 30 ख.नं. 148 रकबा 1.60 है., ख.नं. 149 रकबा 2.01 है., ख.नं. 150 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.66 है. में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 31 की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम मानोता जाटान जो लोयल से मानोता जाटान जाने वाली सड़क से दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे एवं खसरा नंबर 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे 10 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि बाबत एक मुकदमा उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह आदि चल रहा है जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 19/18 में न्यायालय द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश जारी कर रखा है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 के संलग्न नजरी नक्शा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 138 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 143, 144, 887/140, ख.नं. 139 व ख.नं. 832/139 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही अंकित मार्क- A से B) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 10 फुट चौड़ाई में 660 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 138 में आने-जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। जहां तक अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मानोता जाटान हाल खाता सं. 66 खसरा नंबर 144, 145, 146, 147 कुल किता 4 कुल रकबा 5.41 है. बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 24.05.2018 को प्रसारित किया था। उक्त प्रकरण उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह आदि की मूल पत्रावली को तलब कर अध्ययन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी सं. 5/वादी धर्मपाल ने अपने उक्त उनवानी वाद पत्र के समर्थन में नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि ख.नं. 145, 146 पर ही अपना कब्जा काश्त होना दर्शाया गया है तथा उक्तानुसार ही वाद पत्र के जरिये अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने भूमि ख.नं. 14[illegible] पश्चिमी दिशा में से रास्ता चाहा है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार [illegible] प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2[illegible] के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 21.09.2021 के प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मानोता जाटान तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 138 रकबा 3.15 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नंबर 143, ख.नं. 887/140, ख.नं. 139, ख.नं. 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 138 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से मार्क– A से B अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 660 वर्गमीटर भूमि की कीमत 67639 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 135278/–रू. (अक्षरे एक लाख पैंतीस हजार दो सौ अठहत्तर रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 143, 144, 887/140, 139, 832/139 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशिं रू. 135278/– नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 143, 144, 887/140, 139 व 832/139 के रकबे में से रास्ते की बाबत 660 वर्गमीटरभूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। चूंकि प्रकरण के खसरा नंबर 144 पर न्यायालय हाजा के प्रकरण नं. 19/2018 उनवानी धर्मपाल बनाम अमर सिंह आदि में दिनांक 03.04.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रसारित है। अतः स्थगन आदेश निष्प्रभावी होने पर ही अमल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12–04–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested